रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 920] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2014/वैशाख 02, 1936
No. 920] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2014/VAISAKHA 02, 1936

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(नि:शक्तता कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2014

का.आ. 1120(अ).— पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 तथा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्‌द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व समाज कल्याण मंत्रालय की 11 अगस्त, 1983 की संख्या का.आ.573(अ) में इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) "कल्याण मंत्रालय", शब्दों जहां कहीं भी ये आते हैं, उनके लिए "सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" नि:शक्तता कार्य विभाग शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(2) पैराग्राफ 3 के लिए, निम्नोक्त पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. निधि के प्रबंधन तथा प्रशासन हेतु, प्रबंधन बोर्ड (जिसे इसके बाद बोर्ड कहा जाएगा) गठन किया जाएगा जिसमें निम्नोक्त सदस्य होंगे अर्थात् :—

(क) सचिव, —अध्यक्ष
नि:शक्तता कार्य विभाग,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,

(ख) वित्तीय सलाहकार, —सदस्य
नि:शक्तता कार्य विभाग,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,

(ग) संयुक्त सचिव (नि:शक्तता कार्य के प्रभारी) —सदस्य
नि:शक्तता कार्य विभाग,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,

(घ) संयुक्त सचिव (माध्यमिक स्तर पर —सदस्य
विकलांगजनों हेतु अनन्य शिक्षा के प्रभारी)
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,

अथवा

संयुक्त सचिव (मौजूदा पालीटेक्निकों का उन्नयन कर इसे शारीरिकरूप से विकलांग सदस्य व्यक्तियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए योजना के प्रभारी), उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,

(ङ) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक, —सदस्य
श्रम और रोजगार मंत्रालय,

(च) अध्यक्ष द्वारा 5 गैर-सरकारी सदस्यों को नामित —सदस्य
किया जाएगा (गैर-सरकारी सदस्य अग्रणी सामाजिक कार्यकर्त्ता/स्वैच्छिक संगठनों में से होंगे - एक-एक प्रतिनिधि दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थि विकलांग, मंद बुद्धि तथा तंत्रिका रूप से विकलांगता के प्रमुख विकालांगता समूह से) (विकलांग व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी)

(छ) निदेशक अथवा उप सचिव अथवा —सचिव-कोषाध्यक्ष
अवर सचिव (विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि से संबद्ध) नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

3. पैराग्राफ-17 के स्थान पर निम्नोक्त पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"17.(1) आवेदन पर विचार करना—बोर्ड द्वारा निधि से वित्तीय सहायता हेतु प्रत्येक आवेदन पर विचार किया जाएगा तथा इनका निपटान किया जाएगा, तथा यदि किसी कारणवश बोर्ड की बैठक शीघ्र नहीं होती, इस प्रकार प्राप्त हुए आवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा तथा इनका निपटान किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष तथा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले बोर्ड के अन्य दो सदस्य शामिल होंगे ।

प्रत्येक आवेदन निम्नोक्त में से किसी एक के माध्यम से भेजे जाएंगे, नामत: :—

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ।
(ii) नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अथवा शीर्षस्तर के संस्थान ।
(iii) जिला पुनर्वास केन्द्र (डीआरसी)।
(iv) अखिल भारतीय कार्मिक औषधि और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई।
(v) अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान, मैसूर ।
(vi) कांउसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलोजी (सीएपीएआरटी)
(vii) श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
(viii) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र
(ix) चिकित्सीय कालेजों अथवा परीक्षण स्तरीय अस्पतालों, नई दिल्ली में परिचालनरत कार्मिक औषधि तथा पुनर्वास विभाग ।

[फा. सं. 14-28/2014-डीडी-IV]
अवनीश अवस्थी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : यह अधिसूचना मूलत: दिनांक 11.08.1983 के का.आ. संख्या 573(अ) के तहत प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 27.10.1997 की का.आ.संख्या 748(अ) के तहत इसमें संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Disability Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2014

S.O. 1120(E).— In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Social Welfare number S.O.573(E), dated the 11th August, 1983, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

In the said notification,—

(1) for the words "Ministry of Welfare", wherever they occur, the words "Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Disability Affairs" shall be substituted;

(2) for Paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely,—

"3. For the management and administration of the Fund, a Board of Management (hereinafter referred to as the Board) shall be constituted consisting of the following members, namely:—

(a) Secretary, —Chairperson
Department of Disability Affairs
Ministry of Social Justice and Empowerment,

(b) Financial Adviser, —Member
Department of Disability Affairs
Ministry of Social Justice and Empowerment,

(c) Joint Secretary, (in-charge of —Member
Disability Affairs)
Department of Disability Affairs,
Ministryof Social Justice and Empowerment,

(d) Joint Secretary, (in charge of —Member
Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage),
Depatment of Secondary Education,
Ministry of Human Resource Development

or

Joint Secretary, (in-charge of —Member
Scheme for Upgradation Existing Polytechnics to Integarate the Physically Disabled in the Main stream of Technical and Vocation Education), Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development

Director General of Employment —Member
and Training,
Ministry of Labour and Employment,

(f) Five non-official members to be —Member
nominated by the Chairperson (non-official members shall be from amongst leading social workers or from voluntary Organisations— one each representing major, disability groups of visually disabled, hearing disabled, orthopedically disabled, mentally retarded and neurologically disabled (Preferably disbled themselves)

(h)	Director or Deputy Secretary or Under Secretary (dealing with the National Found for people with disabilities) Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment	—Secretary-Treasurer

(3) For Paragraph-17, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"17. (1) Consideration of application—Every application for financial assistance from the Fund shall be considered and disposed of by the Board, and where the Board is not meeting early for any reason, the applications so received may be considered and disposed of by a committee consisting of the Chairperson and two other members of the Board to be nominated by the Chairperson of the Board.

(2) Every application shall be routed through any of the following, namely:—

(i) State Government or Union Territory Administration;

(ii) National or Apex Level Institutes of Disabilities under the Department of Disability Affairs;

(iii) District Rehabilitation Centre;

(iv) All India Institute of Physical Medicine and Rehablilitation, Mumbai;

(v) All India Institute of Speech and Hearing, Mysore;

(vi) Council for Advancement of People's Action and Rural Technology;

(vii) Vocational Rehabilitation Centre under the Ministry of Labour and Employment;

(viii) Regional Rehabilitation Training Centre;

(ix) Department of Physical Medicine and Rehabilitation operating in Medical Colleges or Tertiary Level Hospital in New Delhi".

[F. No. 14-28/2014-DD-IV]
AWANISH AWASTHI, Jt. Secy.

Note: The notification was originally published *vide* number S.O. 573(E), dated the 11th August, 1983 and was subsequently amended *vide* number S.O. 748(E), dated the 27th October, 1997.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.